किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत्।

नम्बर 4/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2025	अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक चन्द्रप्रकाश मीणा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 35/2022 बउनवान सरकार जर्ये अधिशाषी अभियंता दांयी मुख्य नहर खण्ड 2 सीएडी चम्बल अंता बनाम बिरजी भाई पुरूषोत्तम भाई मैसर्स हार्डवेयर टूल्स मशीनरी प्रोजेक्ट अहमदाबाद को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें दौराने विचारण माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा में विचाराधीन दीवानी विविध प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया। जिसकी पालना में इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण स्थगित किया जाकर निर्णित कर दिया गया था। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ वादी/अप्रार्थी द्वारा माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा के वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दीवानी प्रकरण संख्या 49/2023 बउनवान मैसर्स हार्डवेयर टूल्स मशीनरी प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद रजिस्टर्ड AA क्लास कॉन्ट्रेक्टर, जरिये मुख्तयार आम देवेन्द्र पटेल कार्यालय पता– 803 व 902, 906–ए, शपथ प्रथम, राजपत क्लब के सामने, एस.जी. रोड़ अहमदाबाद (गुजरात) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके माध्यम से वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा द्वारा खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर पी.डी.आर. प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नंबर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद पूर्ति मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar Date: 2025.07.01 10:57:51 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर बारां (राज०)	